FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** ई ओ डब्लू **P.S. (थाना):** ईओडब्ल्यू

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0053 **Year (वर्ष):** 2026

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 07/04/2026 13:52 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	467
3	भा दं सं 1860	468
4	भा दं सं 1860	471
5	भा दं सं 1860	409
6	भा दं सं 1860	120-B
7	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/10/2014 **Date To (दिनांक तक):** 03/12/2014

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/04/2026

Time (समय): 13:40 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004

Date & Time (दिनांक और समय): 07/04/2026 13:52

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence** (घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S.**(थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 312 किमी
   Beat No. (बीट सं.):
   (b) **Address** (पता): कार्यालय नगर निगम ,जबलपुर मप्र

   (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then** (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State)** (ज़िला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant** (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) **Name** (नाम): राम जनम यादव
   (b) **Father's Name** (पिता का नाम) : श्री राम लोचन यादव
   (c) **Date/Year of Birth** (जन्म तिथि / वर्ष): 03/01/1987 (d) **Nationality** (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) **UID No.** (यूआईडी सं.):
   (f) **Passport No.**(पासपोर्ट सं.): **Date of Issue** (जारी करने की तिथि):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) **Address** (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	नियर भवन टीवी टावर कटंगा,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	नियर भवन टीवी टावर कटंगा,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

   (i) **Occupation** (व्यवसाय):
   (j) **Phone number** (दूरभाष सं.):
   Mobile (मोबाइल सं.): 91-8602147570

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
   Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री तीरथदास नागदेव /tirath das			1. फ्लेट नं 509, स्वामी दयानंद, सरस्वती वार्ड, नेपियर,टाउन,

				जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

2	श्रीमति संजना रतलानी /sanjana			1. फ्लेट नं 510,स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड,नेपियर टाउन, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

3	सुनील रतलानी /sunil			1. फ्लेट नं 511, स्वामी दयानंद , सरस्वती वार्ड,नेपियर टाउन, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

4	डा दीपनारायण मिश्रा /deep narayan		पिता का नाम : स्व श्री धर्मदास मिश्रा	1. एमआरफोर रोड आदि प्लजा,के पीछे, जीडेए ब्लक नंबर सी, फ्लेट नंबर-1 विजय नगर, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest** (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)**-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any** (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents** (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल म.प्र मे उप पुलिस अधीक्षक, कार्यवाहक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हू। आज दिनांक 07.04.2026 को श्री राम जनम यादव, प्रआर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर ने टाईपशुदा एंव भूमेश्वरी चौहान, निरीक्षक, इकाई जबलपुर द्वारा हस्ताक्षरित शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट क्रमांक 00/2026, धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120 बी भा.द.वि. 1860 एवं धारा 7 सी भ्रष्टाचारा निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) का इकाई जबलपुर से लाकर थाने पर असल नम्बर पर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत की गयी, जो शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट की नकल निम्नानुसार है :- बिना नम्बरी प्रथम सूचना पत्र अपराध क्रमांकः- 0/2026 धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120 बी भा. द.वि. 1860 एवं धारा 7 सी भ्रष्टाचारा निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018)घटना का दिनांकः- दिनांक 01.10.2014 से 03.12.2014 तकघटना स्थलः-कार्यालय नगर निगम जबलपुर (म.प्र.)थाने से दिशा एवं दूरीः-312 कि.मी. पूर्व बिना नंबरी प्रथम सूचना पत्र का दिनांक व समय :- 06.04.2026 के 17ः00 बजे।ज्ञात/अज्ञात संदेही/आरोपियों का नाम पताः-(1) श्री तीरथदास नागदेव, पता- फ्लेट नं. 509,

स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर (2) श्रीमति संजना रतलानी पता- फ्लेट नं. 510, स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर (3) सुनील रतलानी पता- फ्लेट नं. 511, स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर(4) डा. दीपनारायण मिश्रा पिता स्व. श्री धर्मदास मिश्रा उम्र-66 वर्ष, निवासी- एमआरफोर रोड आदि प्लजा के पीछे, जीडेए ब्लक नंबर सी, फ्लेट नंबर-1 विजय नगर जबलपुर।कायमीकर्ताः-भूमेश्वरी चौहान, निरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई, जबलपुर। अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा दिये जाने में विलम्ब का कारणः-निरंक। विवरणमैं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। आवेदक विजय गुप्ता, द्वारा अनावेदक तीरथदास नागदेव व अन्य के विरूद्ध प्रकोष्ठ को शिकायत प्रेषित किया था। उक्त शिकायत आवेदन से प्रकोष्ठ मुख्यालय में शिकायत आवेदन आवक क्रमांक 3171/21, 206/22, 2093/22, 2556/23 से शिकायत क्रमांक 235/23 का पंजीयन दिनांक 05.09.2023 को किया गया। मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/अपराध/जबल./शिका.-235 (23)/2556-ए /2023 भोपाल, दिनांक 14.09.2023 के माध्यम से शिकायत जबलपुर इकाई को प्राप्त हुई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक ब्यूरो इकाई, जबलपुर के आदेश क्रमांक/आ.अ.प्र.को./जबल./शी.ले./5359/23 दिनांक 15.09.2023 के द्वारा उक्त शिकायत श्री मुकेश खम्परिया, उप पुलिस अधीक्षक (का.) को जांच हेतु प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश क्रमांक/आ.अ.प्र.को./जबल./शी.ले. /5349/25 दिनांक 16.07.2025 के माध्यम से मुझ जांचकर्ता निरीक्षक भूमेश्वरी चौहान को अग्रिम जांच हेतु प्राप्त हुई। अनावेदकों एवं नगर निगम अधिकारी द्वारा 20 लाख रूपये की नगर निगम जबलपुर को राजस्व क्षति पहुचाने के आरोप लगाये गये है।जांच अंतर्गत आवेदक विजय गुप्ता पिता श्री प्रभुदयाल गुप्ता उम्र-75 वर्ष निवासी पीरजी कंम्पाउण्ड गली नबंर 05 सदर जबलपुर से पूछताछ कर कथन लेख किये गये। जिन्होने बताया कि इनके मित्र श्री प्रितपाल सिंह खनूजा की माँ श्रीमति बलवंत कौर ने नेपियर टाउन दयानंद सरस्वती वार्ड जोन 13 में 3 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण वर्ष 1963-64 में कराया था जिसमें कुल 12 फ्लैट बने है जिसका नंबर 237-ए/1 से 237-ए/12 था, बाद में जिनका नंबर नगर निगम द्वारा नया नंबर 506 से 517 किया गया।जांच अंतर्गत श्री प्रितपाल सिंह खनूजा पिता श्री सरदार बुधसिंह उम्र-77 वर्ष निवासी नेपियर टाउन जबलपुर से पूछताछ कर कथन लेख किये गये जिन्होने बताया कि इनकी माँ बलवंत कौर के द्वारा 1964 में 12 फ्लेटों का निर्माण कराया गया। सन् 1978 में 09 फ्लेट बेचे एवं दिनांक 23.10.1994 को 03 फ्लेटों को बेचने का इकरारनामा तीरथदास नागदेव, संजना रतलानी पत्नि रामचंद रतलानी एवं सुनील रतलानी सुपुत्र लक्ष्मणदास रतलानी से किया गया जिन्होने आज दिनांक तक उक्त फ्लेटों की रजिस्ट्री नहीं कराई। तीरथदास द्वारा नगर निगम में करों का निराकरण हेतु एक झूठा शपथ पत्र व आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मकान नंबर 509 वर्ष 1990 के पूर्व तथा प्रथम एंव द्वितीय तल वर्ष 2010 का बना है इस आधार पर संपत्ति के कर निर्धारण संबंधी विवरणी भरी गई। प्रितपाल सिंह खनूजा ने बलवंत कौर उर्फ शीला विधवा स्व. श्री बुधासिंह द्वारा वर्ष 1966, वर्ष 1967, वर्ष 1968, वर्ष 1970 में नगर निगम कर्पोरेशन जबलपुर द्वारा अधिरोपित कर्पोरेशन कर के देयक बिल प्रस्तुत किये जिसमें श्रीमति बलवंत कौर द्वारा भवन क्रमांक 237/1ए से 237/12ए तक संपत्ति का कर जमा किया गया है। वर्ष 2014 में श्रीमति बलवंत कौर उर्फ शीला विधवा स्व. श्री बुधासिंह द्वारा संपत्ति धारक द्वारा विवरणी भरी गई है जिसमें कुल देयक राशि 55,953.92/- रूपये लेख है । कार्यालय नगर पालिका निगम जबलपुर द्वारा दिनांक 10.12.2013 को बलवंत कौर उर्फ शीला को वर्ष 1997-98 से बकाया कर राशि रूपये 42,376/- का भुगतान करने अंतिम सूचना जारी की गई है। शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेजों में 10 रूपये के स्टेम्प पर लेख एक शपथ पत्र दिनांक 01.10.2014 है, जिसमें तीरथदास नागदेव द्वारा भवन के भूतल एरिया सन् 1990 के पूर्व एवं प्रथम एवं द्वितीय तल सन् 2010 का बना होने के आधार पर करारोपण करने हेतु लेख है, साथ ही संपत्ति के स्वनिर्धारण विवरणी एवं नगर पालिका निगम जबलपुर का टीप प्रतिवेदन एवं आदेश जिसमें भूतल सन् 1998, प्रथम एवं द्वितीय तल सन् 2010 के आधार पर गणना कर, कर राशि रूपये 41,098/- समायोजित की गई है जिस पर राजस्व अधिकारी दीपनारायण मिश्रा के हस्ताक्षर है। जांच अंतर्गत अनावेदक तीरथदास नागदेव निवासी-नवीन विधा भवन स्कूल के पास नेपियर टाउन, दयानदं सरस्वती वार्ड जबलपुर को कथन लेख कराने बावत नोटिस जारी किया

गया था जो अनावेदक के उपस्थित न होने से कथन नहीं लिये जा सके।जांच अंतर्गत जितेन्द्र रतलानी पिता श्री रामचंद रतलानी से पूछताछ कर कथन लेख किये गये जिसने बताया कि वर्ष 1992-93 में बलवंत कौर उर्फ शीला विधवा स्व. श्री बुधासिंह से फ्लैट नंबर 510 प्रथम तल दयानंद सरस्वती वार्ड नेपियर टाउन जबलपुर खरीदने का अनुबंध इसकी माँ संजना रतलानी ने किया था। उक्त अनुबंध में ही फ्लैट नंबर 509 का अनुबंध तीरथदास नागदेव एवं द्वितीय तल 511 का अनुबंध सुनील रतलानी द्वारा किया गया था, पैसो की व्यवस्था न होने के कारण उक्त फ्लैटों की रजिस्ट्री नही कराना बताया। जांच अंतर्गत तत्कालीन राजस्व अधिकारी नगर निगम जबलपुर डॉ. दीपनारायण मिश्रा को जरिए नोटिस तलब कर पूछताछ कर कथन लेख किये गये जिसने भवन क्रमांक 509 से 511 आई.डी. क्रमांक- 40300507 में उपयोगकर्ता तीरथदास नागदेव द्वारा शपथ पत्र के साथ स्वविवरणी में जानकारी देने पर प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण वर्ष 2010 मानते हुए कर राशि रूपये 41,096/- का समायोजन करना एवं आदेश दिनांक 03.12.2014 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया।

शिकायत जांच अंतर्गत कार्यालय नगर पालिका निगम जबलपुर से मकान नंबर 509, 510, 511 के निर्माण वर्ष संबंधी जानकारी चाही गई जिसमें कार्यालय नगर पालिका निगम जबलपुर के पत्र क्रमांक- भ.शा. /2024/799 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार बलवंत कौर स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2011-12 तक बलवंत कौर स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड के नाम से कोई भी भवन अनुज्ञा प्रकरण की स्वीकृति दर्ज नहीं पाई गई।

कार्यालय नगर निगम जबलपुर के पत्र क्रमांक/रा.वि./2023-24/522 जबलपुर दिनांक 18.03.2024 के माध्यम से कर समायोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई जिसके अनुसार मकान नंबर 509, 510, 511 के निर्माण वर्ष से वर्तमान तक भवन स्वामी के नाम सहित संपत्ति कर की जानकारी संपत्ति कर लेजर अनुसार है जिसमें मकान नंबर 509 से 511 भवन स्वामी का नाम बलवंत कौर उर्फ शीला विधवा स्व. श्री बुधासिंह, संपत्ति कर का विवरण वर्ष 1996-97 से वर्ष 2023-24 तक है जिसमें राजस्व अधिकारी आदेशानुसार दिनांक 03.12.2014 संपत्ति कर सामायोजन राशि रूपये 41,096/- लेख है।

कार्यालय संभागीय अधिकारी संभाग क्रमांक 13 (मुख्यालय) नगर निगम जबलपुर के पत्र क्रमांक क्र./सं. अधि./2025-26/29 दिनांक 27.06.2025 के माध्यम से प्राप्त जानकारी अनुसार भवन क्रमांक 509 से 511 निर्माण वर्ष 1997 के पूर्व भवन स्वामी बलवंत कौर उर्फ शीला पति स्व. श्री बुधासिंह लेख है। दिनांक 23.11.1968 का बिल्डिंग नंबर 237-ए का लेआउट प्लॉन संलग्न है।

कार्यालय नगर निगम जबलपुर के पत्र क्रमांक/रा.वि./2024-25/418 जबलपुर दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से भवन क्रमांक 506 ये 517 तक भवनों से संबंधित आई.डी. क्रमांक की जानकारी प्राप्त की गई।

कार्यालय नगर पालिका निगम जबलपुर के पत्र क्रमांक-भ.शा./2024/689 जबलपुर दिनांक 09.10.2024 से जानकारी प्राप्त की गई जिसके अनुसार भवन क्रमांक 509, 510 एवं 511 में श्री प्रितपाल सिंह, विरेन्द्र सिंह, रंजीत सिंह के नाम से मानचित्र स्वीकृत है।

जाचं से यह भी पाया गया कि तीरथदास नागदेव, संजना रतलानी एवं सुनील रतलानी उक्त भवन के स्वामी नहीं है। उनके द्वारा भवनों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई और न ही लीज स्थानांतरित कराई गई है। इसके कारण तीरथदास नागदेव भवन के कर निर्धारण हेतु कोई आवेदन नहीं दे सकता है और नही नगर निगम द्वारा उसके आवेदन पर कर का निर्धारण किया जा सकता है। तीरथदास नागदेव के द्वारा बिना रजिस्ट्री कराए एवं बिना लीज ट्रांसफर कराए बिना ही झूठा शपथ पत्र देकर कर का निर्धारण अपने पक्ष में कराया गया है। इस हेतु पहले रजिस्ट्री कराना व लीज नवीनीकरण आवश्यक है। वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन पर रजिस्ट्री की कीमत लगभग 80,00,000/- रूपये है जिस पर स्टाम्प शुल्क लगभग 8,00,000/- व लीज की राशि लगभग 12,00,000/- रूपये होती है, इस प्रकार कुल 20,00,000/- रूपये लगभग के स्टाम्प शुल्क व लीज नवीनीकरण की राशि की भी शासन को क्षति कारित हुई है।

आरोपीगणों द्वारा भवन निर्माण वर्ष एवं स्वामित्व संबंधी गलत जानकारी देते हुये संपत्ति कर निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे नगर निगम को भ्रमित कर कम कर निर्धारण कराया गया तथा स्टेम्प

शुल्क व लीज नवीनीकरण राशि की शासन को आर्थिक हानि पहुचाई गई। जांच में यह भी पाया गया कि तत्कालीन राजस्व निरीक्षक नगर निगम जबलपुर, आरोपी दीपनारायण मिश्रा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, आरोपीयों से मिलीभगत कर प्रस्तुत दस्तावेज का विधिवत परीक्षण किये बिना, जानबूझकर गलत तथ्यों को स्वीकार संपत्ति कर का समायोजन किया गया, इस प्रकार कुल 20,41,096/- रूपये लगभग की शासन को आर्थिक क्षति पहुचाई गई।

शिकायत जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपीगण तीरथदास नागदेव, संजना रतलानी सुनील रतलानी द्वारा आपस में अपराधिक षडयंत्र कर नगर निगम जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित भवन/प्लॉट क्रमांक 509, 510 एवं 511 के संबंध में बिना वैधानिक रजिस्ट्री एवं लीज ट्रांसफर कराये, झूठे शपथ पत्र एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एवं उनका उपयोग कर नगर निगम को प्रस्तुत किये गये।

आरोपीगण भवन निर्माण वर्ष एवं स्वामित्व संबंधी गलत जानकारी देते हुये संपत्ति कर निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे नगर निगम को भ्रमित कर कम कर निर्धारण कराया गया तथा शासन को आर्थिक हानि पहुचाई गई। जांच में यह भी पाया गया कि तत्कालीन राजस्व निरीक्षक नगर निगम जबलपुर, आरोपी दीपनारायण मिश्रा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, आरोपीयों से मिलीभगत कर प्रस्तुत दस्तावेज का विधिवत परीक्षण किये बिना, जानबूझकर गलत तथ्यों को स्वीकार संपत्ति कर का निर्धारण किया गया, जिससे शासन को लगभग रूपये 20,41,096 की राजस्व हानि हुई।

इस प्रकार आरोपीगण द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर, छलपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका उपयोग कर शासन को आर्थिक क्षति पहुचाई गई एवं लोक सेवक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर आपराधिक न्यास भंग किया गया। अतः उपरोक्त कृत्य आरोपीगण तीरथदास नागदेव, श्रीमति संजना रतलानी एवं सुनील रतलानी के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.वि. 1860 तथा लोक सेवक आरोपी दीपनारायण मिश्रा (तत्कालीन राजस्व निरीक्षक नगर निगम जबलपुर) के विरूद्ध धारा 409, 120बी एवं धारा 7 सी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने के लिये बिना नम्बरी प्रथम सूचना पत्र तैयार किया जाकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल भेजी जाती है।

(भूमेश्वरी चौहान)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ
जबलपुर

हस्ताक्षर - भूमेश्वरी चौहान, निरीक्षक, विवेचक/जांचकर्ता, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर म.प्र। शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट पर से थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल मध्यप्रदेश में उपरोक्त वार्णित आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 53/2026, दिनांक 07/04/2026, धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120 बी भा.द.वि. 1860 एवं धारा 7 सी भ्रष्टाचारा निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |) **or (या)**

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** BHUMESHURY CHOUHAN
No.(सं.):
Rank (पद): I (Inspector)

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.) थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):DR DINESH JOSHI
Rank(पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Polic
No.(सं.): 12345

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	महिला					
3	पुरुष					
4	पुरुष					

Deformities/	Teeth	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)